**<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>**

**<u>पर्यटन अनुभाग</u>**

**<u>संख्या-315/2020/4747/41-2020-01 सा0/2014</u>**

**लखनऊ दिनांक 23 दिसम्बर, 2020**

**<u>संख्या-306/2020/4524/41-2020-01सा0/2014 दिनांक 21 दिसम्बर</u>, <u>2020</u>**

**<u>का शुद्धि पत्र</u>**

**जनपद प्रतापगढ़ में घुइसरनाथ धाम में राष्ट्रीय एकता महोत्सव के आयोजन हेतु अनुदान की स्वीकृति** हेतु निर्गत **शासनादेश <u>संख्या-306/2020/4524/41-2020-01सा0/2014 दिनांक 21 दिसम्बर</u>**, **<u>2020</u>** के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक-4752/15-1435/टी0टी0/2019, दिनांक 23-12-2020 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उक्त शासनादेश में प्रस्तर-2 में त्रुटिवश **प्रायोजना की कुल लागत का 20 प्रतिशत की धनराशि रू0 7,50,000.00** (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) अंकित किया गया है, जबकि इसके स्थान पर **प्रायोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 7,50,000.00** (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) अंकित होना चाहिए था।

2. अत: **संख्या-306/2020/4524/41-2020-01सा0/2014 दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 के** प्रस्तर-2 में अंकित **प्रायोजना की कुल लागत का 20 प्रतिशत की धनराशि रू0 7,50,000.00** (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) के स्थान पर **प्रायोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 7,50,000.00** (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक **दिनांक 21 दिसम्बर 2020** उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

**<u>संख्या-315/2020/4747(1)/41-2020-01सा0/2014 तद्दिनांक।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त, प्रयागराज/जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ।
4- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/प्रतापगढ़ ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in